

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
13 FEB 2017
346

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 8/2/2017

क्रमांक एफ 12-16/2016/सत्रह/मेडि-3 :: विभागीय समसंख्यक आदेश के अनुक्रम में राज्य बीमारी सहायता योजनान्तर्गत सेवा की प्रदायगी हेतु परिवार की परिभाषा निम्नानुसार परिभाषित की जाती है -

1. पंजीकृत सदस्य स्वयं,
2. पंजीकृत सदस्य का पति अथवा उसकी पत्नी,
3. आश्रित माता/पिता अथवा सास/ससुर,
4. आश्रित बच्चे (अविवाहित एवं जिनकी आयु 25 वर्ष से कम हो),
5. आश्रित विधवा अथवा परित्यक्ता बहन/पुत्री/पुत्रवधु,
6. आश्रित निःशक्त भाई/बहन/पुत्र/पुत्री

नोट : "निःशक्त व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 में परिभाषित है तथा स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय घात, मानसिक मंदता एवं बहुनिःशक्तता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आते हो ।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 8/2/2017


पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-16/2016/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र. ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर पृ.क्र. एफ-2/2015/935/पी.एच.-2/2015/935/पी.एच./एसजे, दिनांक 23.06.2015 के अनुपालन में सूचनार्थ ।

..2

3. निज सचिव, मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश (कृपया आदेश वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें) ।
5. समस्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा व जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, पिडियाट्रिक सर्जिकल यूनिट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा व जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
9. उपसंचालक, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वय, राज्य बीमारी सहायता योजना, संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि मान्यता प्राप्त चिकित्सालय को जारी निर्देशों से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।
12. समस्त सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।
13. समस्त जिला नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के., मध्यप्रदेश ।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।
15. समस्त, जिला समन्वय आर.बी.एस.के., एन.एच.एम. मध्यप्रदेश ।
16. समस्त, प्रबंधक डी.ई.आई.सी., एन.एच.एम., मध्यप्रदेश ।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग